

कार्यालय
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
वन विभाग, हरियाणा सरकार,

सी-18, वन भवन, सैक्टर 6, पंचकुला, दूरभाष/फैक्स +91 172 2563988, 2563861, E-mail: cffcpanchkula@gmail.com

क्रमांक: प्रशा-डी-तीन-8571/

2784-85

दिनांक: 22-10-18

सेवा में

1. वन संरक्षक, उत्तरी परिमण्डल, अम्बाला ।
2. वन मण्डल अधिकारी, यमुनानगर ।

विषय: Diversion of 0.00989 ha. of forest land for access to M/s Shiv Jyoti Plywood at Village Bhogpur, P.O. Mehar Majra, Tehsil Jagadhri, under forest division and District Yamunanagar, Haryana.

Online Proposal No. FP/HR/Road/33752/2018

संदर्भ: वन संरक्षक, उत्तरी परिमण्डल, अम्बाला का पत्र क्रमांक 2372 दिनांक 11-10-2018 ।

विषयोक्त प्रस्ताव में निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गई हैं जिन्हें दूर करके सही सूचना तुरन्त इस कार्यालय को भेजें तथा सम्बन्धित/अपेक्षित प्रपत्र भी 2-2 प्रतियों में भेजें :-

1. अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की अनुपालना में सम्बन्धित जिलाधीश का प्रमाण पत्र [एफ0आर0ए0 प्रमाण पत्र] अपलोड नहीं किया गया है और न ही प्रस्ताव के साथ भेजा गया है । कृपया मूल एफ0आर0ए0 प्रमाण पत्र प्रयोक्ता एजेंसी से ऑनलाईन फार्म-ए पार्ट-1 में Additional information Details के तहत अपलोड करवाया जाए और मूल प्रति इस कार्यालय को भेजी जाए ।
2. प्रस्ताव के साथ प्राप्त सी0ए0 स्कीम ठीक नहीं है । इस केस में 9 वृक्ष बाधक हैं, इसलिए इनके दस गुणा अर्थात् $9 \times 10 = 90$ पौधे लगाए जाने हैं जबकि आपने न्यूनतम 50 पौधे लगाने के लिए सी0ए0 स्कीम बनाई है । कृपया 90 पौधे लगाने के लिए सी0ए0 स्कीम व भूमि उपयुक्तता प्रमाण पत्र पुनः तैयार करके 2-2 प्रतियों में इस कार्यालय को तुरन्त भेजा जाए ।

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ0सी0ए0 व केम्पा)
हरियाणा, पंचकुला ।

22
24/10

पृ0क्रमांक: प्रशा-डी-तीन-8571/ 2786

दिनांक: 22-10-18

एक प्रति प्रयोक्ता एजेंसी (M/s Shiv Jyoti Plywood) को ई-मेल के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ0सी0ए0 व केम्पा)
हरियाणा, पंचकुला ।

22
24/10